आपात स्थितियों में स्वास्थ्य का अधिकार:

स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बुनियाद रखते हुए

[पं परमानंद कटारा बनाम भारत संघ व अन्य (1989) 4 SCC 286 तथा पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल व अन्य (1996) 4 SCC 37 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फ़ैसलों पर आधारित]

1989 के आसपास:

हकीम शेख़ पश्चिम बंगाल में एक स्टेशन पर ट्रेन से गिर जाते हैं और उनके सिर में गंभीर चोटें आती हैं और उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव होने लगता है. उन्हें सबसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता है जहाँ सुविधाओं के अभाव में उन्हें एक राजकीय अस्पताल में भेज दिया जाता है. राजकीय अस्पताल में उनकी जाँच करने और फ़ौरन भर्ती करने की सलाह के बाद, हकीम को बेड ख़ाली न होने के कारण लौटा दिया जाता है. पूरी रात छह दूसरे सरकारी अस्पतालों ने यही वजह बताई. हकीम को आख़िरकार अगली सुबह 10 बजे एक निजी .अस्पताल में भर्ती किया जाता है

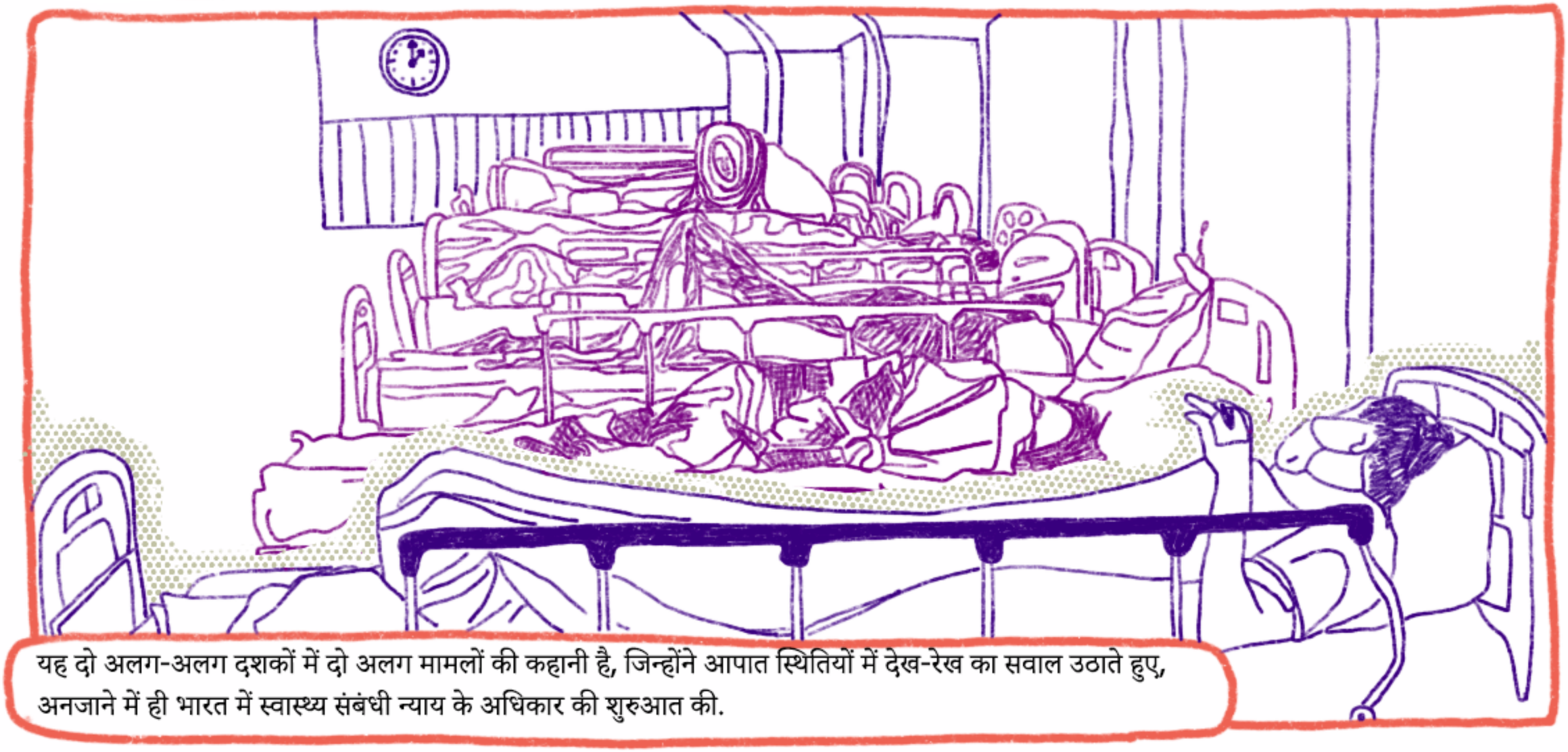

यह दो अलग-अलग दशकों में दो अलग मामलों की कहानी है, जिन्होंने आपात स्थितियों में देख-रेख का सवाल उठाते हुए, अनजाने में ही भारत में स्वास्थ्य संबंधी न्याय के अधिकार की शुरुआत की.

C-HELP

JUSTICE adda

आपात स्थितियों में स्वास्थ्य का अधिकार:

स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बुनियाद रखते हुए

[पं परमानंद कटारा बनाम भारत संघ व अन्य (1989) 4 SCC 286 तथा पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल व अन्य (1996) 4 SCC 37 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फ़ैसलों पर आधारित]

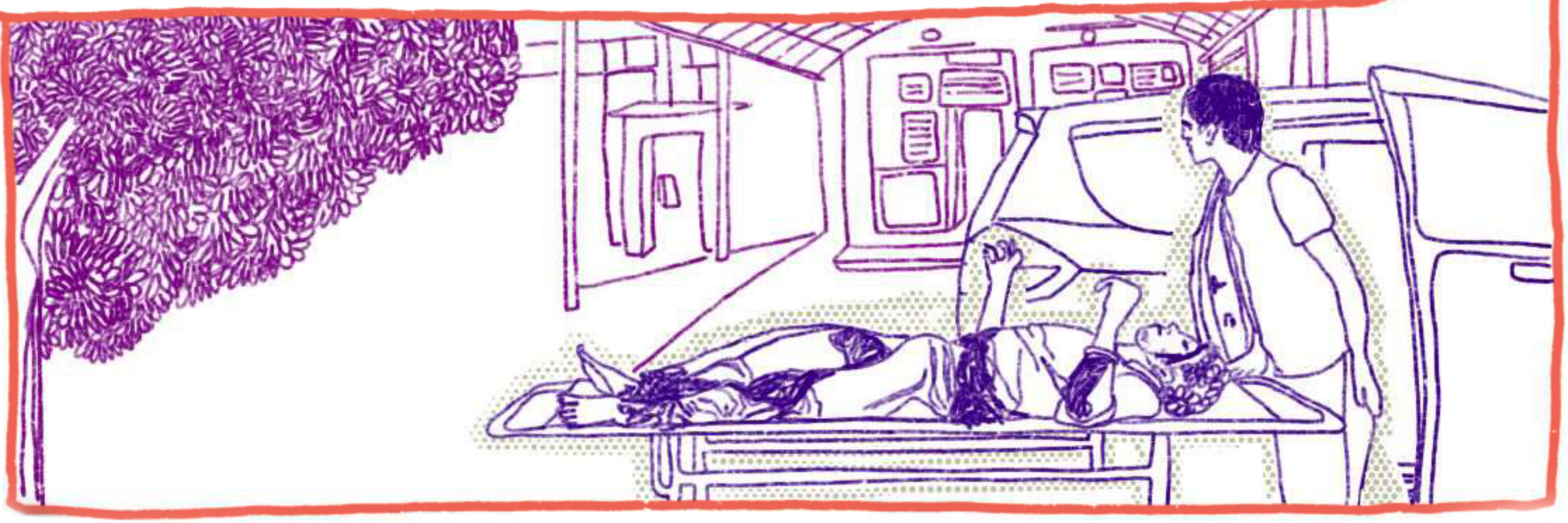

1992 के आसपास:

हकीम शेख़ पश्चिम बंगाल में एक स्टेशन पर ट्रेन से गिर जाते हैं और उनके सिर में गंभीर चोटें आती हैं और उनके मस्तिष्क में रक्तस्राव होने लगता है. उन्हें सबसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाता है जहाँ सुविधाओं के अभाव में उन्हें एक राजकीय अस्पताल में भेज दिया जाता है. राजकीय अस्पताल में उनकी जाँच करने और फ़ौरन भर्ती करने की सलाह के बाद, हकीम को बेड ख़ाली न होने के कारण लौटा दिया जाता है. पूरी रात छह दूसरे सरकारी अस्पतालों ने यही वजह बताई. हकीम को आख़िरकार अगली सुबह 10 बजे एक निजी अस्पताल में भर्ती किया जाता है.

परमानंद कटारा मामले की कहानी

अगस्त 1989 में अधिवक्ता पं. परमानंद कटारा ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए दो चीज़ों की माँग की:

भारत संघ को यह निर्देश दिया जाए कि इलाज के लिए लाए गए हरेक ज़ख़्मी नागरिक को फ़ौरन मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाए और उसके बाद आपराधिक क़ानून की प्रक्रियाएँ शुरू हों ताकि अनदेखी की वजह से होने वाली मृत्यु से बचा जा सके.

अगर अनदेखी की वजह से कोई मृत्यु होती है, तो समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए और मुआवज़ा दिया जाना चाहिए.

Ministry of Health
Government of India

MEDICAL COUNCIL OF INDIA
1933

ESTD 1928
INDIAN MEDICAL ASSOCIATION

इस मामले में जवाब देने के लिए दूसरे पक्ष से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया और इंडियन मेडिकल काउंसिल को बुलाया गया

कटारा ने अपने मुद्दे को पेश करने के लिए अदालत का ध्यान स्कूटर चालक की त्रासद मृत्यु की ख़बर की तरफ़ दिलाया.

संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है

परमानंद कटारा के मामले पर विचार

ऊपर बताए गए हरेक जवाबदाता ने मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर अदालत के सामने हलफ़नामे पेश किए...

मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया:
"क़ानून में ऐसी कोई रोक नहीं मिलती जो डॉक्टरों के व्यवहार को न्यायोचित ठहराती हो. दूसरी तरफ़, पेशेवर आचार का यह हिस्सा है कि किसी भी मरीज़ की अनदेखी नहीं की जा सकती, जो कोड ऑफ़ मेडिकल एथिक्स के प्रावधानों 10 और 13 में दर्ज़ है"

इंडियन मेडिकल असोसिएशन:
"कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय प्रमाण अधिनियम कुछ क़ानूनी औपचारिकताओं के आदेश देते हैं ताकि ऐसे मामलों में सबूतों को जस का तस बचाए रखा जा सके. कभी-कभी ऐसे मामलों को देखते हुए डॉक्टर पुलिस के हाथों परेशान किए जाते हैं"

भारत संघ:
"मौजूदा क़ानून में कोई रुकावट नहीं है. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने 1986 में फ़ैसला लिया था कि (क) जाँच पूरी होते ही एक पूरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करके उसको पुलिस को सौंपा जाना चाहिए - मरीज़ के इलाज के लिए पुलिस के आने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा (ख) क्षेत्रीकरण किया जाएगा ताकि मामलों को किसी दूसरे अस्पताल में नहीं भेजा जाए."

...इन बयानों को दर्ज़ करते हुए, अदालत ने पाया कि भले ही अधिकारी इस मामले पर एक दशक से अधिक समय से ग़ौर कर रहे हैं, लेकिन हालात में कोई बेहतरी नहीं आई है.

परमानंद मामले पर फ़ैसला

28 अगस्त 1989 को अदालत ने निम्नलिखित फ़ैसला सुनाया जो पूरे भारत पर लागू होता है:

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 राज्य को जीवन की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी देता है

मरीज़ के जीवन की रक्षा ज़रूर की जानी चाहिए, भले ही वह एक निर्दोष व्यक्ति हो या क़ानूनी कार्रवाई के लायक कोई अपराधी.

हरेक डॉक्टर के ऊपर यह पेशेवर ज़िम्मेदारी है कि वह समुचित विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएँ दे, चाहे वह किसी सरकारी अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में.

अदालती क़ानून अगर एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी को निभाने में दख़ल देता है तो उसको बदला जाना चाहिए, चाहे ऐसा क़ानून नियमों के रूप में हो या किसी अन्य रूप में.

क्षेत्रीय नियमन या वर्गीकरण भी रुकावटों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं.

हाकिम शेख़ की कहानी

कटारा मामले के करीब 7 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजकीय संवेदनहीनता और चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही और निर्मम रवैए की एक और कहानी आई.

हाकिम शेख़ के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दर-दर भटकने की ख़ौफ़नाक कहानी हम ऊपर पढ़ चुके हैं. शेख़ पश्चिम बंग खेत मज़दूर समिति के एक सदस्य थे जो खेतिहर मज़दूरों का एक संगठन है. हाकिम ने समिति के साथ मिल कर सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक दी, और आरोप लगाया कि कई राजकीय अस्पतालों में इलाज से इन्कार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकार के उल्लंघन के समान है.

हाकिम शेख़ के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन

राज्य सरकार ने हाकिम द्वारा पेश किए गए मामले के तथ्यों और दावों का खंडन नहीं किया. इस बात पर ग़ौर करते हुए अदालत ने कहा कि...

भविष्य के लिए सुधारात्मक क़दमों का फ़ैसला

कार्यवाही के दौरान, राज्य सरकार ने यह पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया कि हाकिम को क्यों एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े. समिति ने ऐसे हालात से निबटने के लिए कई सिफ़ारिशें कीं. उनके अतिरिक्त, अदालत ने 6 मई 1996 के अपने फ़ैसले में विशेष दिशानिर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

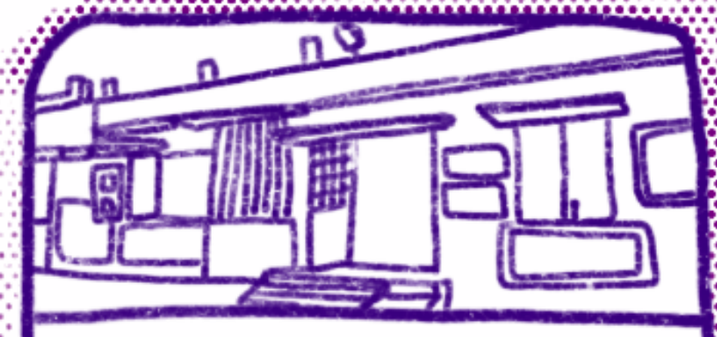

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हों जहाँ मरीज़ों की स्थिति को संभालने के लिए फ़ौरी प्राथमिक इलाज मुहैया कराया जा सके.

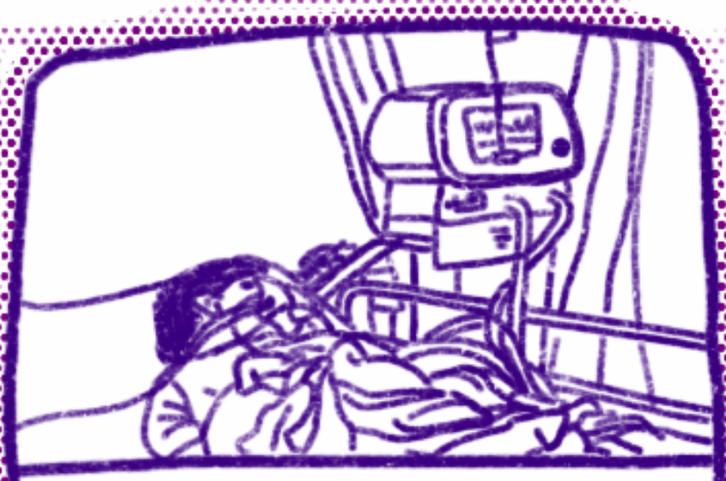

ज़िला और मंडल स्तर के अस्पतालों को उन्नत करना चाहिए ताकि गंभीर मामलों का वहाँ इलाज किया जा सके.

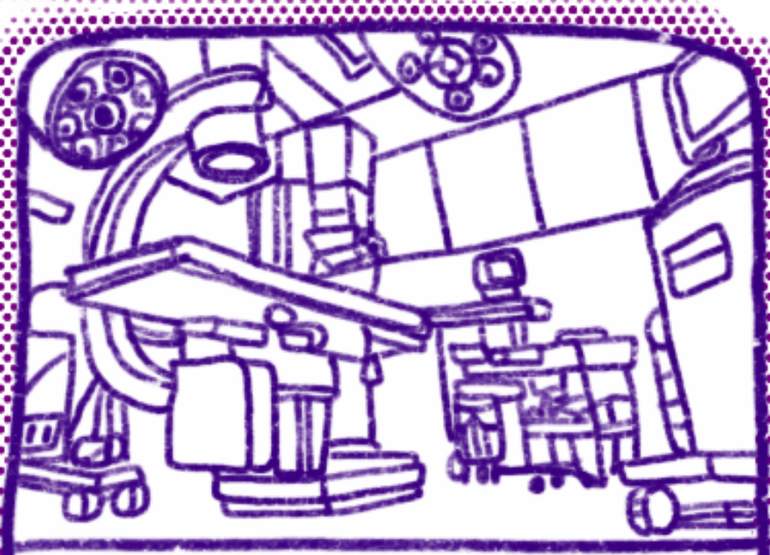

विशेष इलाज मुहैया कराने के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाए.

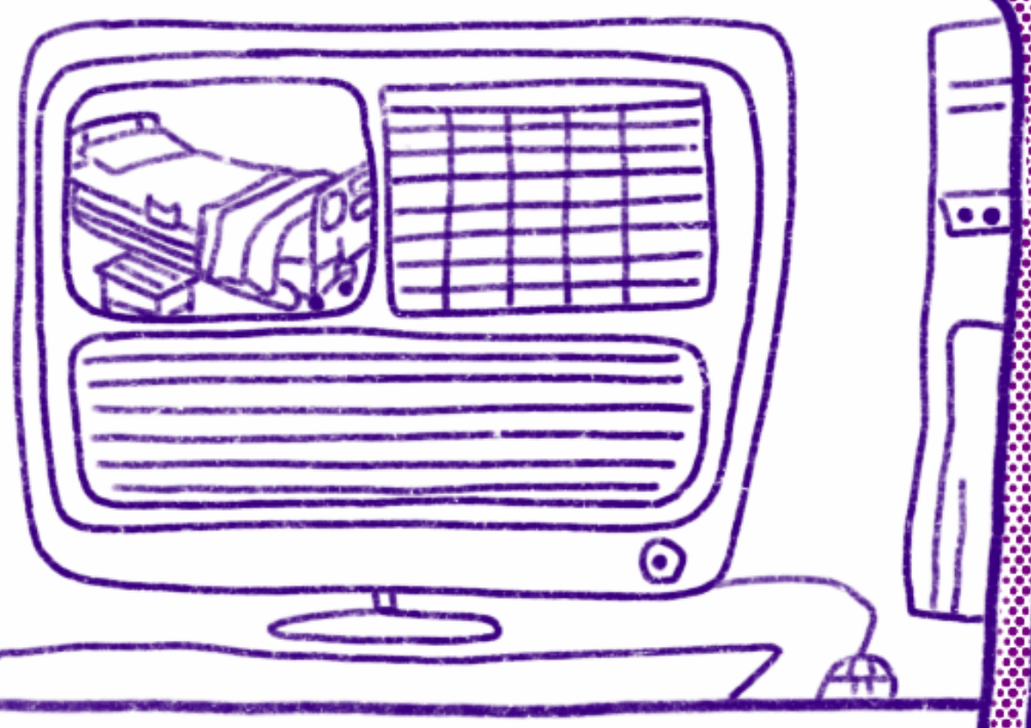

बिस्तरों (बेड) की उपलब्धता के लिए एक केंद्रीकृत संवाद व्यवस्था स्थापित की जाए.

मरीज़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ज़िला या मंडल अस्पतालों में ले जाने के लिए एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए

एक साथ रख कर देखने पर दोनों मामले यह साफ़ कर देते हैं कि एक आपात स्थिति में, चिकित्सा सेवा देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है. जहाँ एक मामले में, अदालत ने देश में डॉक्टरों की ज़िम्मेदारियों को रेखांकित किया, वहीं दूसरे में राज्य की ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया.

भारत में आपात मेडिकल सहायता के महत्वपूर्ण अधिकार को स्थापित करने में इन दोनों मामलों की भूमिका रही है.

कार्रवाई के लिए ज़रूरी बिंदु

यही मामले 2006 में जारी 201वीं लॉ कमीशन रिपोर्ट का आधार भी बने जिसने भारत में आपात स्थिति में मेडिकल सहायता पर एक मॉडल कानून की सिफ़ारिश की, और इसमें प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल को भी शामिल किया गया.

एक वैश्विक महामारी के दौर में स्वास्थ्य का अधिकार...

इस तरह स्थापित किए गए स्वास्थ्य के अधिकार की रोशनी में, कोविड-19 वैश्विक महामारी के हालात में आपात मेडिकल सहायता बहुत महत्वपूर्ण बन गई है.

इस संदर्भ में अनुच्छेद 21 के तहत अदालत ने किस तरह स्वास्थ्य के अधिकार की व्यवस्था दी है?

30 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक विस्तृत फैसला दिया जिसमें उसने केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि:

- **अस्पतालों में भर्ती** करने के लिए एक **राष्ट्रीय नीति बनाई जाए** जो राष्ट्रीय योजना 2019 के पूरक का काम करे
- **टीका नीति पर फिर से विचार किया जाए** और यह सुनिश्चित किया जाए कि यह संविधान के अनुच्छेदों 14 और 21 के अनुकूल हो
- **आवश्यक दवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए** और उनकी क़ीमतों की निगरानी की जाए.

12 जून 2020 को एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देशित किया कि एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए ताकि कोविड मरीज़ों का इलाज करने वाले सभी सरकारी अस्पतालों की जाँच, निगरानी की जाए और जरूरी निर्देश जारी किए जा सकें.

देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने भी स्वास्थ्य के अधिकार के विभिन्न पहलुओं को उठाया:

कोविड-19 पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और सार्वजनिक धन का ख़र्च (मणिपुर उच्च न्यायालय)

स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पर्याप्त उपकरण और जाँच, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में वेंटीलेटरों और एंबुलेंसों की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता पर नागरिकों के सूचना के अधिकार के लिए एक डाटाबेस (बंबई उच्च न्यायालय)

टीकाकरण में विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता और यह सुनिश्चित करना कि टीकाकरण केंद्र विकलांगता वाले व्यक्तियों के अनुकूल हों (मद्रास उच्च न्यायालय)

अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का भविष्य

भारतीय संविधान हालाँकि सीधे-सीधे स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं करता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की जो व्याख्या की है उसके तहत इसे जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग बना दिया है. इस महत्वपूर्ण व्याख्या ने स्वास्थ्य के अधिकार के अनेक पहलुओं की नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकृति दिलाने की राह खोल दी है...